फाइल सं. ए.12018/05/2019-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में भंडार सहायक समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में भंडार सहायक समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 2/12/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक 2/12/22

[भारत के राजपत्र,भाग-2, खंड-3,उपखण्ड (i)में प्रकाशनार्थ]

भारतसरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2022

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1982 को, जहां तक उनका संबंध भंडार सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में भंडार सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु,भंडार सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह,ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स में लेवल | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| भंडार सहायक | 01*(2022)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मेट्रिक्स में लेवल-6<br>(रु. 35400-112400) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता । |

| क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति:भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न/ पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ जन सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित है |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता । | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | प्रोन्नति:<br>ग्रेड में दस वर्षों की नियमित सेवा के साथ पे मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100) में उच्च श्रेणी लिपिक। | समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल है:<br>1. उप महानिदेशक (कुष्ठ रोग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; | आवश्यक नहीं । |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रतिनियुक्ति:<br>केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी<br>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर हों; या<br>(ii) मूल संवर्ग का विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500-81100) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद दस वर्षों की सेवा पूर्ण की हो या समकक्ष<br>(ख) निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव रखते हो<br>किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त हो<br>टिप्पण 1: जहां अपनी योग्यतापात्रता सेवा पूरी कर / चुके कनिष्ठों को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते वे ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या वर्ष 2, जो भी कम हो, अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम न हों और उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले ही ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो<br>टिप्पण 2: फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, पर कार्य कर रहे व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे। | 2. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य<br>3. उप निदेशक (कुष्ठ रोग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य;<br>4. निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य<br>समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायी करने पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं:<br>1. अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय- अध्यक्ष;<br>2. उप महानिदेशक (कुष्ठ रोग), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय- सदस्य;<br>3. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय- सदस्य;<br>4. निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय- सदस्य | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | टिप्पण 3: केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले आयोजित किसी अन्य संवर्ग- बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |

(फा. सं. ए.12018/05/2019-कुष्ठ)

(मनोज कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार